

**कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति
जिला नारायणपुर (छगग)**

दूरभाष : 07781-299218 email id : deonpr74@gmail.com

क्र. 2235 / सेजेस / अ.मा.वि. / प्रतिनियुक्ति / संविदाभर्ती / 2023-24 नारायणपुर, दिनांक 15 / 05 / 2023

—:: प्रतिनियुक्ति / संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन ::—

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1714 नवा रायपुर, दिनांक 02.05.2023 एवं आदेश क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1716 नवा रायपुर, दिनांक 02.05.2023 के अनुसार जिले में नवीन स्वीकृत स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेनुर जिला नारायणपुर एवं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ओरछा, जिला नारायणपुर के लिए निम्नानुसार स्वीकृत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर अस्थाई रूप से प्रतिनियुक्ति / संविदा के माध्यम से भर्ती किया जाना है।

अतः राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों की पूर्ति के लिए निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति / संविदा भर्ती हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति / संविदा भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर कलेक्टर बिल्डिंग कक्ष क्रमांक-74, पिन कोड-494661 के पते पर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, या स्वयं आवेदक कार्यालयीन समय पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर के आवक-जावक शाखा में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभ/अंतिम तिथि दिनांक 11/05/2023 (प्रारंभ) से 26/05/2023 (अंतिम) तक कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक होगी। समय अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// विज्ञापित रिक्त पदों का विवरण //

(अ) स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेनुर जिला नारायणपुर (छ.ग.)

क्रं.	पद का नाम एवं माध्यम		पदों की संख्या	आरक्षण	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
	विषयवार पदनाम	माध्यम				
1	2	3	4	5	6	7
1	व्याख्याता, हिन्दी	-	01	अनारक्षित	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता, संस्कृत	-	01	अनारक्षित	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता, अंग्रेजी	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता, गणित	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता, सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता, जीवविज्ञान	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता, भौतिकी	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता, रसायन	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता, वाणिज्य	अंग्रेजी	02	अनारक्षित-1 अ.ज.जा.-1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक, विज्ञान	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक, गणित	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	शिक्षक, अंग्रेजी	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	शिक्षक, कला	अंग्रेजी	01	अनारक्षित	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन

// 02 //

टीप :-

1. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा पर्याप्त कारण से विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है। इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा।
 2. प्रथम वरियता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जावेगी। प्राप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति के आवेदकों के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में ही संविदा भर्ती विचारार्थ होगी।
1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें :- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ होना आवश्यक है :-

(एक) व्याख्याता (अंग्रेजी माध्यम) (हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी) -

हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्तर के लिए उपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर/समकक्ष एवं बी०एड० अनिवार्य है। व्याख्याता हिन्दी व संस्कृत के पदों पर अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है।

टीप :- 1. व्याख्याता अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीवविज्ञान, रसायन, भौतिक एवं वाणिज्य हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।

स.क्र.	विषय	विषय समूह
1	2	3
1	हिन्दी	हिन्दी
2	संस्कृत	संस्कृत
3	अंग्रेजी	अंग्रेजी
4	गणित	गणित/एप्लाइड गणित
5	सामाजिक विज्ञान	राजनीति/अर्थशास्त्र/इतिहास/भूगोल आदि कला संकाय के विषयों पर स्नातकोत्तर की उपाधि।
6	जीव-विज्ञान	वनस्पतिशास्त्र/प्राणीशास्त्र/लाइफसाइन्स/जैविकी/अनुवांशिकी (जेनेटिक्स)/सुक्ष्मजैविकी (माइक्रोबायोलॉजी)/जैवप्रद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी)/आणविक विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी)/पादप कार्बिकी (प्लांट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर में प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो।
7	रसायन	रसायन/बायोकेमेस्ट्री
8	भौतिक	भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी
9	वाणिज्य	एकाउन्टेंसी सहित वाणिज्य/कास्ट एकाउंटिंग/फाइनेन्सियल एकाउन्टेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो।

(दो) शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण एवं डी.एड. या बी.एड. या डी.एल.एड. उत्तीर्ण तथा टी.ई.टी./सी.टी.ई.टी. उत्तीर्ण (उच्च प्राथमिक स्तर)

टीप :- 1. शिक्षक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।

स.क.	विषय	विषय समूह
1	2	3
1	विज्ञान	रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भू-गर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर हो।
2	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय भौतिकी /रसायन /इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर साईस/सांख्यिकी / सैन्यविज्ञान/ भू-गर्भ विज्ञान।
3	अंग्रेजी	अंग्रेजी
4	कला/सामाजिक विज्ञान	राजनीति/अर्थशास्त्र/इतिहास/भूगोल आदि कला संकाय के विषयों पर स्नातक की उपाधि।

(तीन) शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) –

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ बी.ई. (कम्प्यूटर साईस)/बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईस)/बी.टेक (कम्प्यूटर विज्ञान) या बी.सी.ए.(कम्प्यूटर) की उपाधि अनिवार्य।

टीप :- 1. शिक्षक कम्प्यूटर हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।

(चार) व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उत्तीर्ण एव बी.पी.एड. अथवा डी.पी.एड. प्रशिक्षण उपाधि अनिवार्य।

टीप :- 1. व्यायाम शिक्षक हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।

(पांच) सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) –

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (अथवा इसके समकक्ष) बोर्ड से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण। एवं डी.एड. या बी.एड. या डी.एल.एड. उत्तीर्ण तथा टी.ई.टी./सी.टी.ई.टी. उत्तीर्ण (प्राथमिक स्तर)

- टीप :- 1. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22.02.2022 के द्वारा संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 18.02.2022 जारी अधिसूचना अनुसार " स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए केवल जिले के स्थानीय निवासी ही, नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
2. सहायक शिक्षक के पद हेतु विषय कला, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी हेतु माध्यमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य। एवं विषय हिन्दी के पद पर अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है।
 3. कंडिका-पांच में उल्लेखित पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं डी.एड. या बी.एड. या बी.एल.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदक अभ्यर्थियों को टी.ई.टी./सी.टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण (प्राथमिक स्तर) अनिवार्य होगा।
 4. पात्र अभ्यर्थी नहीं पाये जाने पर उपरोक्त अर्हताओं में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार चयन समिति को होगा।

(छः) सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला(अंग्रेजी माध्यम) –

जीवविज्ञान/गणित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (अथवा इसके समकक्ष) बोर्ड से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण।

टीप :- 1. सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।

(सात) ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) –

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उत्तीर्ण एव बी.लिब. उपाधि अनिवार्य।

टीप :- 1. व्यायाम शिक्षक हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।

चयन प्रक्रिया संविदा हेतु :- चयन हेतु चयन समिति द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

क.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के वेटेज निर्धारित अंक प्रतिशत में			
		हायर सेकेण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	डी.एड./बी.एड./बी.एल. एड/बी.पी.एड. /डी.पी. एड./बी.लिब.
1	2	3	4	5	6
1	व्याख्याता	—	—	70	30
2	शिक्षक, व्यायाम शिक्षक,	—	70	—	30
3	शिक्षक कम्प्यूटर,	—	70	—	30
2	सहायक शिक्षक	70	—	—	30
3	सहा.शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला	100	—	—	—
5	ग्रंथपाल	—	70	—	30

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता के संयुक्त अंको के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
2. अन्तिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर होगा। साक्षात्कार 100 अंको का होगा।
3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 70 प्रतिशत, तथा न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता का 30 प्रतिशत जोड़कर साक्षात्कार हेतु 1 : 20 के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में आमंत्रित किया जायेगा।
4. प्रथम दावा/आपत्ति की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी छूटे दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं।
5. उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
6. शैक्षक पदों पर व्यवसायिक योग्यता डी.एड./डी.एल.एड. या बी.एड. उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में अन्य आवेदकों पर समिति द्वारा विचार किया जावेगा।
7. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/साक्षात्कार उपरान्त अंको को जोड़कर अंतिम मेरिट सूची बनाई जाकर योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित संचालन प्रबंधन समिति अध्यक्ष द्वारा जारी किया जायेगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों के साथ अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संविदा पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वालों की संख्या कम होने एवं कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् पद त्याग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा जायेगा।

नियम व शर्त :-


1. विज्ञापित पदों को सर्व प्रथम प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरा जावेगा।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें के कंडिका-पांच एवं कंडिका-छः के अनुसार सहायक शिक्षक पद हेतु नारायणपुर जिले के अभ्यर्थियों से पदों के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं होने पर ही बस्तर संभाग अन्तर्गत अन्य जिलों के आवेदकों के आवेदनों पर विचार किया जावेगा। नारायणपुर जिले एवं बस्तर संभाग स्तर पर पदों के अनुरूप पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने पर ही छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के आवेदकों के आवेदनों पर चयन हेतु विचार किया जावेगा।

3. शिक्षक हेतु बस्तर संभाग अन्तर्गत जिलों के आवेदकों के आवेदनों पर विचार किया जावेगा। बस्तर संभाग स्तर पर पदों के अनुरूप पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने पर ही छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के आवेदकों के आवेदनों पर चयन हेतु विचार किया जावेगा।
4. व्याख्याता पद हेतु राज्य स्तर के आवेदकों के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।
5. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगे, शासन के द्वारा नियुक्ति/कार्य व्यवहार के आधार पर या संविदा नियुक्त पद पर कोई शासकीय सेवक/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति से आता है तो उस समय या किसी भी समय समिति द्वारा सेवा से पृथक किया जा सकेगा। या भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किये जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
6. संविदा से चयनित शिक्षकों को अन्य नियमित शिक्षकों की भांति शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मूल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि से भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। जिसके लिये अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
7. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानेदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा/भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा।
8. आवेदन में आवेदक अनुसूचित जनजाति/अ.जा./अ.पि.वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
10. संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2024 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्यदक्षता, कार्यक्षमता एवं आचरण/व्यवहार के आधार पद दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि आगामी सत्र के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
11. संविदा भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा भर्ती के संबंध में जारी समस्त शर्तें लागू होगी।
12. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
13. सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्वधीन होंगी।
14. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शामिल होंगे।
15. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा पर्याप्त कारण से विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है। इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा।
16. संविदा शिक्षक/कर्मचारियों को सीधी भर्ती द्वारा नियमित पदों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी।
17. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों (प्रथम पक्ष नियोक्ता एवं द्वितीय पक्ष अभ्यर्थी) में से नियोक्ता पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। जबकि द्वितीय पक्ष को सेवा से त्याग देने की स्थिति में 03 माह का वेतन चालान के माध्यम से जमा कराना होगा। संविदा अवधि समाप्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
18. संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन, मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ.ग.शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, की पात्रता नहीं होगी।
19. नियुक्ति के पश्चात् जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
20. आवेदक का उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा में छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे।

21. संबंधित विषय के अभ्यर्थी को पृथक संस्था हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन पर आवेदक द्वारा दोनो संस्था हेतु आवेदन करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। जिसके लिए अभ्यर्थी कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
22. आवेदक द्वारा आवेदित संस्था का नाम, आवेदित पद का नाम व भर्ती का प्रकार संविदा या प्रतिनियुक्ति (छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शासकीय कर्मचारियों हेतु) एवं विषय जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है का नाम लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
23. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप (निर्धारित आवेदन प्रारूप ही मान्य होगा।) तथा नियम-शर्तें नारायणपुर जिले के वेबसाईट <https://narayanpur.gov.in> एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारायणपुर के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।
24. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति नारायणपुर को होगा।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

चयन प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति हेतु दिशा निर्देश एवं शर्तें :-

1. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेनुर जिला नारायणपुर एवं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ओरछा, जिला नारायणपुर।
 - प्रतिनियुक्ति हेतु शाला की आवश्यकता के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों में से योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किया जाते है।
2. प्रतिनियुक्ति पूर्णतः राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार होगी।
3. प्रतिनियुक्ति हेतु केवल छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शासकीय शिक्षक/कर्मचारी आवेदन कर सकते है।
4. प्रतिनियुक्ति हेतु विभागीय शासकीय शिक्षक/कर्मचारी आवेदकों के द्वारा संपूर्ण अध्यापन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। हिन्दी व संस्कृत के पदों पर अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है।
5. छ.ग.राज्य के अन्यत्र जिले से प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदनकर्ता को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. चयन हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की निर्धारित प्रक्रिया में चयनित होने पर प्रतिनियुक्ति मान्य हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जावेगा।
7. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्याख्याता/शिक्षक/अन्य कर्मचारियों का वेतनमान पूर्व की तरह देय होगा एवं राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे।
8. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शिक्षा विभाग में स्वयं का नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।


 कलेक्टर एवं अध्यक्ष
 स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालन
 प्रबंधन समिति
 जिला नारायणपुर (छ.ग.)

पृ०क्र./ 2236 /सेजेस/अ.मा.वि./प्रतिनियुक्ति/संविदाभर्ती/2023-24 नारायणपुर, दिनांक 10 /05 /2023
प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ सूचनार्थ ।
02. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर को सूचनार्थ ।
04. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ ।
05. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
06. जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, एन0आई0सी0नारायणपुर को सूचनार्थ एवं जिला के पोर्टल में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
07. जिला कार्यालय नारायणपुर को एक प्रति नोटिश बोर्ड में प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालन
प्रबंधन समिति
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

सुतीसगार
सोजगार
समाचार

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

:: संविदा आवेदन पत्र का प्रारूप-1 ::

संविदा हेतु जिस विद्यालय के लिए आवेदन किया जा रहा है :-

उस विद्यालय का नाम

संविदा हेतु जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है :-

उस पद का नाम

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

रंगीन
फोटो/स्वयं
प्रमाणित

01. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :-
02. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :-
03. (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :-
04. लिंग (पुरुष/महिला) :-
05. जन्मतिथि (अंको में) :- वर्ष माह..... दिन.....
- (शब्दों में) :-
06. जाति/वर्ग (अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./अनारक्षित) :-
07. शैक्षणिक योग्यता की जानकारी (पद के लिए न्यूनतम योग्यता से शुरू करें) :-

क.	उत्तीर्ण परीक्षा/स्तर का नाम	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10वीं							
2	12वीं							
3	स्नातक							
4	स्नातकोत्तर							
5	डी.एड./बी.एड.							
6	टी.ई.टी./सी.टी.ई.टी.							
7	अन्य							

08. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? :-
- (निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
09. जिले का नाम :-
10. स्थायी पता :-
11. पत्र व्यवहार का पूरा पता :-
12. फोन/मोबाईल नम्बर :-
13. कार्यानुभव (अनुभव प्रमाण पत्र व आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क.	संस्था का नाम	पदनाम एवं (कक्षा जिसका अध्यापन किया)	अध्यापन का माध्यम	अवधि	
				कब से	कब तक
1	2	3	4	5	6

14. क्या उम्मीदवार विवाहित है (हाँ/नहीं) :-
15. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :-
16. क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते हैं यदि हां तो।
कितने वर्ष की (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

17. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति की सूची :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

// घोषणा पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, इनमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी बिना बताए मेरे आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पूर्ण पता)

नाम -

पता -

.....

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति
जिला नारायणपुर (छग0)

:: प्रतिनियुक्ति (शासकीय शिक्षक/कर्मचारी हेतु) आवेदन पत्र का प्रारूप-2 ::

प्रतिनियुक्ति हेतु जिस विद्यालय के लिए आवेदन किया जा रहा है :-

उस विद्यालय का नाम

प्रतिनियुक्ति हेतु जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है :-

उस पद का नाम

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

रंगीन
फोटो/स्वयं
प्रमाणित

1. आवेदक/आवेदिका कर्मचारी का पूरा नाम (हिन्दी में) का :-
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. वर्तमान पद :-
5. नियुक्ति की तिथि :-
6. वर्तमान कार्यरत संस्था :-, विकासखण्ड -, जिला -
7. शैक्षणिक योग्यता :-
8. व्यावसायिक योग्यता :-
9. शिक्षा का माध्यम (अंग्रेजी/हिन्दी/अन्य) :-
10. कक्षा और विषय (वर्तमान में अध्यापन) :-
11. शैक्षणिक अनुभव :-
12. मोबाइल नम्बर (कॉलिंग) :- +91....., (व्हाट्सएप) +91
13. ई-मेल आई डी :-@gmail.com
14. कर्मचारी कोड :-
15. कोई अन्य अनुभव :-
16. प्रशिक्षण अवधि :-
17. कम्प्यूटर दक्षता :-
18. गतिविधि अनुभव (एनसीसी/एनएसएस/रेडक्रॉस/स्काउट-गाइड) इत्यादि अन्य
19. कोई अन्य जानकारी :-

20. वर्तमान कार्यरत संस्था/कार्यालय नाम का पता :-

21. स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पूरा पता :-

22. शैक्षणिक योग्यता की जानकारी/कार्यानुभव (पद के लिए न्यूनतम योग्यता से शुरू करें/अनुभव प्रमाण पत्र व नियुक्ति आदेश की सत्याप्रति संलग्न करें) :-

क.	उत्तीर्ण परीक्षा/स्तर का नाम	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

23. विभाग प्रमुख/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति/विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र का विवरण (नोट :- अनिवार्यतः संलग्न करें) एवं नियुक्ति आदेश छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य।

विभाग/कार्यालय का नाम
कमांक/.....
दिनांक.....

24. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सूची :-

1. नियुक्ति आदेश छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य।
2.
3.
4.
5.
6.
7.

// घोषणा पत्र //

उपरोक्त मेरे द्वार दी जा रही जानकारी सत्य और सही है और मैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला नारायणपुर में कार्य करने के लिए अपनी सहमति देने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :-.....

दिनांक :-...../...../2023

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -.....

पद -.....

कार्यरत संस्था -.....